A-01/10/2022-ADMN 1/2677464/2025



बवभसावी वान घीभा तिवाभ (बिवड भडे वृद्धवाच भैंडवासा, **डावड मवबाव**) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, **भारत सरकार**)

Employees' State Insurance Corporation (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

Website: https://ludhianahospital.esic.gov.in



भैडीबस बासन भडे चमपडास, डावड तवाव, स्रुपिकारा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, भारत नगर, लुधियाना

Medical College & Hospital, Bharat Nagar, Ludhiana Phone: 0161-2772435/2775539 Email: dean-ludhiana.pb@esic.gov.in

फ़ाइल संख्या: A-01/10/2022-ADMN दिनाक-10-06-2025

ज्ञापन/Memorandum

सक्षम प्राधिकारी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने तथा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के निवारण, प्रतिषेद व प्रतितोष और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए आंतरिक शिकायत समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया है। /Exercising the powers under section 4(1) of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 the Competent Authority has reconstituted the Internal Complaints Committee to provide protection against sexual harassment to women and for Prevention, Prohibition and Redressal of complaints pertaining to sexual harassment of women employees and for matters connected therewith or incidental thereto as under:

क्रम संख्या/ SI.		
	नाम तथा विवरण/Name and details	पद/Post
1	डॉ. नम्रता , विशेषज्ञ	अध्यक्ष
2	श्री सुनील कुमार नेगी, संयुक्त निदेशक	सदस्य
3	डॉ. सीमा, विशेषज्ञ	सदस्य
4	डों नीलम रानी, विशेषज्ञ	सदस्य
5	श्रीमती आशु गुप्ता	बाहरी सदस्य

पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तिथि से 3 वर्ष से अनअधिक अविध तक पद पर बने रहेंगे। / The presiding officer and every member of the Internal Complaints Committee shall hold the office for such period, not exceeding three years from the date of nomination.

आंतरिक शिकायत समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में यदि कोई हो तो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नियम 14 के साथ पठित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत मामलों की संख्या, यदि कोई हो, तथा उनके निपटान का विवरण होगा। / The internal Complaints Committee shall in each calendar year prepare an annual report under section 21 of the said Act read along with rule 14, which shall have details of number of cases filed if any and their disposal under this Act.

Digitally signed by GOVIND BHARDWAJ இதுக்குள்ளிற்கும் இந்தில் (Admin) 14:37:46

उप

प्रतिलिपि/Copy to:

1. महानिदेशक, (सतर्कता) मुख्यालय, का.रा.बी. निगम सी.आई.जी. मार्ग नई दिल्ली- को सूचनार्थ।

2. निजी सहायक कक्ष, का.रा.बी. निगम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लुधियाना डीन व चिकित्सा अधीक्षक के सूचनार्थ।

3. समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ व अपेक्षित कार्यवाही हेतु।

- 4. वैबसाइट कंटैंट प्रबंधक मुख्यालय, का.रा.बी. निगम सी.आई.जी. मार्ग नई दिल्ली/ उप निदेशक आईटी का.रा.बी. निगम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लुधियाना को मुख्यालय की वैबसाइट पर उपलोड करने के निवेदन के साथ।
- 5. क्षेत्रीय कार्यालय, का.रा.बी. निगम चंडीगढ़ को सूचनार्थ।
- 6. उप क्षेत्रीय कार्यालय, का.रा.बी. निगम, लुधियाना को सूचनार्थ।